न्यायालय–सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम, डुमरॉव

स्वत्व वाद सं0 – 106/2023

दहारी राम उर्फ दहारी पासवान ....वादी।

बनाम्

भरत पासवान वगै0 ....प्रतिवादीगण।

आदेश

03.07.2025

वादी की पैरवी है। प्रतिवादी उनुपस्थित है। पुकार पर वादी के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए। वादी के विद्वान अधिवक्ता वादी के तरफ से दिनांक 14.05.2025 को दाखिल आवेदन अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 सी0 पी0 सी0 को प्रचालित करते हुये यह कथन करते है कि वादी ने यह वाद बटवारा हेतू दाखिल किया है। इस वाद में अर्जी में कुछ शब्द, कुछ वाक्य, कुछ पाराग्राफ टाईपिस्ट की गलती से टाईप होना छुट गया है। जिसका अर्जी में जोड़ा जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रस्तावित अर्जी मरम्मत फार्मल नेचर का है जिससे मुकदमा की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं होगा। जिसके आलोक में कुछ लोगों को पक्षकार बनाना आवश्यक है तथा अनुरोध करते हैं कि न्यायहित में वादी का आवेदन स्वीकृत करते हुए, अर्जी में संशोधन करने का आदेश दिया जाय।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अभी प्रतिवादीगण की उपस्थिति हेतू चल रहा है इसी कारण उनकी तरफ से कोई नहीं आये है। वादी का आवेदन महज औपचारिक है एवं जिससे मुकदमा का प्रकृति नहीं बदलता है। अतः वादी के तरफ से दिनांक 14.05.2025 को दाखिल आवेदन अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 सी0 पी0 सी0 को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है तथा वादी के विद्वान अधिवक्ता को निदेर्शित किया जाता है कि आवदेन के अनुसार अर्जी में संशोधन करें। कार्यालय संशोधन पश्चात् सिरिस्तेदार से प्रतिवेदन की मांग करें।

दिनांक– 31.07.2025 वास्ते उपस्थिति हेतू।

लेखापित

(गौरी शंकर)
सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम,
डुमरॉव (बक्सर)